


दिसंबर  
2019



# जाँच से समझौता

समझौता एक्सप्रेस धमाके (2007) और  
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की भूमिका

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स

# जाँच से समझौता

समझौता एक्सप्रेस धमाके (2007) और  
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की भूमिका

18-19 फरवरी 2007 की रात 1:59 बजे दिल्ली से अटारी जाने वाली अटारी एक्सप्रेस की दो अनआरक्षित बोगियों में पानीपात के करीब पहुँचने पर धमाके होते हैं और उनमें आग लग जाती है। इन धमाकों में 67 यात्री मौका-ए-वारादत पर ही हलाक हो जाते हैं और 13 अन्यो को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ एक और आदमी की मौत हो जाती है। विस्फोटक दो और जगहों पर रखे गए थे, जो किन्हीं कारणों से नहीं फट पाए। उनमें से एक विस्फोटक किसी अन्य बोगी में; और, एक प्लेटफॉर्म के नजदीक पटरियों पर रखा गया था। मरने वालों में मुख्यतः पाकिस्तानी नागरिक थे। इनमे कुछ भारतीय और रेलकर्मी भी शामिल थे।

इस वारदात की मूल एफआईआर 28/2007, दिनांक 19 फरवरी 2007 थाना जीआरपी करनाल में दर्ज की गई थी। 2007 से 2010 तक, इन धमाकों की जाँच एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा की गई, जिसने शुरुआत में इन धमाकों के लिए लश्कर-ए-तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे संगठनों और अन्य मुसलमानों तथा पाकिस्तानियों को दोषी मानकर अपनी जाँच शुरू की। 1 मार्च 2007 को पंजाब पुलिस ने किसी अजमत अली नाम के आदमी को गिरफ्तार किया। वह भारत में जाली कागजातों की मदद से अवैध रूप से घुसने की कोशिश कर रहा था। हालाँकि, एसआईटी द्वारा उसकी भूमिका स्थापित करने के मुत्तालिफ पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि एक हद के बाद जाँच एजेंसी की यह कहानी किसी तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पा रही थी। धमाकों के बाद, उस्मान नाम के एक और पाकिस्तानी को इसी वजह से छोड़ना पड़ा। एसआईटी ने अगले कुछ साल भी, उस दौरान देश की अलग-अलग जेलों में बैठे सिमी के उन तथाकथित सदस्यों से पूछताछ में बिताए, जिनमें सफदर नागोरी नामक शख्स भी शामिल था। लेकिन, इस कवायद से भी उन्हें धमाकों से संबंधित कोई सुराग नहीं मिल पाया।

2009 में, अमरीका ने आरिफ कासमानी नाम के शख्स की शिनाख्त की, जो लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था. उसे समझौता एक्सप्रेस धमाकों (और 2006 के मुंबई रेल धमाकों) के लिए पैसा उगाही में संलिप्त पाया गया था. इस खुफिया खबर को आधार बनाकर तब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने उन चार लश्कर सदस्यों की पहचान की थी जिनका संबंध समझौता धमाकों से हो सकता था. उनके नाम आरिफ कासमानी, फजील-अ-तुल्ल शेख अबू मोहम्मद अमीन अल-पेशावरी, मोहम्मद याहिया मुजाहिद और नासीर जावेद थे. इसी को आधार बनाकर सुरक्षा परिषद ने अल-कायदा और तालिबान पर प्रतिबंध लगा दिया.

2010 के बाद, जब हेमंत करकरे (मुंबई एंटी-टेरर स्कवाड के चीफ) ने मालेगाँव धमाकों का हिंदुत्ववादी लिंक उजागर किया तो एसआईटी को इसकी कार्य प्रणाली में कुछ समानताएँ नजर आईं और उसने लश्कर और सिमी का पीछा छोड़कर दूसरे तरीके के संदिग्धों पर गौर करना शुरू किया. इस समय तक एसआईटी ने समझौता एक्सप्रेस धमाकों की साजिश का केंद्र, इंदौर में होने को खोज निकाला था. उसने मुख्य संदिग्धों की पहचान की और बाद में उन पर मुकदमा भी ठोका. इन संदिग्धों की सूची में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित (समझौता मुकदमे से बरी), सुनील जोशी, इत्यादि जैसे नाम शामिल थे. हालाँकि, इस वक्त तक बम धमाके के हादसे को गुजरे, तीन साल का वक्त बीत चुका था.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 26 जुलाई 2010 को इस मामले की जाँच को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया. एनआईए ने एफआईआर नम्बर 9, दिनांक 29 जुलाई 2010 में निम्नलिखित अपराधों के तहत मामले दर्ज किए:

आईपीसी 1860 के अंतर्गत धाराएँ 302, 307, 324, 326, 124-A, 438, 440	हत्या, हत्या का प्रयास, जान बूझकर चोट पहुँचाना, जानलेवा चोट, देशद्रोह, आग्नेय या विस्फोटक पदार्थों द्वारा हानि, जानलेवा या गंभीर चोट पहुँचाने वाली कार्यवाही
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रेलवे ऐक्ट के अंतर्गत धाराएँ: 150, 151, 152	दुर्भावनापूर्ण मंशा के साथ ट्रेन को नुकसान पहुँचाना या कोशिश करना, रेओवे संपत्ति का नुकसान और तोड़फोड़ की कार्यवाही, दुर्भावनापूर्ण रेलयात्रियों को चोट पहुँचाना या चोट पहुँचाने की कोशिश करना
एक्सप्लोसिव सबस्टेंस ऐक्ट, 1908 के अंतर्गत धाराएँ 3, 4, 6	विस्फोट जिससे जानमाल का नुकसान और जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँच सकती हो, उकसाना
प्रीवेन्शन ऑफ़ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऐक्ट, 1984 के अंतर्गत धाराएँ 3, 4	सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले कृत्य, विस्फोट द्वारा जानमाल और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास
यूएपीए के अंतर्गत धाराएँ 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23	गैरकानूनी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि, फंड उगाही, शरण देना, इत्यादि. षड्यंत्र, अधिक जुर्माना.

## जाँच का घटनाक्रम और एनआईए का आरोप-पत्र

एनआईए ने अपनी जाँच, एक साल के भीतर निपटा दी. उसने 20 जून 2011 को पाँच आरोपियों के खिलाफ अपना आरोप-पत्र दाखिल किया. ये आरोपी थे: स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी (अब मृत), रामचंद्र कालासांग्रा उर्फ रामजी, संदीप डाँगे (तब से उद्घोषित अपराधी) और लोकेश शर्मा.

एनआईए को केस स्थांतरित होने के तुरंत बाद, देवेन्द्र गुप्ता और लोकेश शर्मा को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया. नवंबर 2010 में, सीबीआई ने स्वामी असीमानंद को भी, मक्का मस्जिद विस्फोट के संदर्भ में, अतमलपुर, जहाँ वह छिपकर छद्म नाम से रह रहा था, से गिरफ्तार कर लिया. स्वामी असीमानंद के इकबालिया बयान के आधार पर दो और

आरोपियों, कमल चौहान और अमित हाकला को 15 जनवरी 2011 को उनकी मिलीभगत के संबंध में गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में 12 नवंबर 2011 को, असीमानंद अपने इस बयान से मुकर गए. एनआईए ने 9 अगस्त 2012 को कमल चौहान और अमित हाकला (तब से उद्घोषित अपराधी) के खिलाफ पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया. इसके बाद 12 जून 2013 को राजेंद्र चौधरी के खिलाफ एक और पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया. चूंकि आरोप-पत्र दाखिल होने से पहले सुनील जोशी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसका नाम इस केस से निकाल दिया गया.

हालाँकि, एनआईए द्वारा 2011 में एसआईटी और हेमंत करकरे के खुलासे के बाद, इन लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया, लेकिन जाँच एजेंसी ने धमाके के लश्कर संबंधों की पड़ताल जारी रखी. 2011 में, एनआईए ने अमरीका से अनुरोध किया कि वह उसे घरेलू और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उन खुफिया जानकारियों से वाकिफ करवाए, जिनके आधार पर आरिफ कासमानी और अन्यो के खिलाफ कार्यवाही की गई. लेकिन इसका जवाब नहीं मिला. जाँच एजेंसी ने 2016 तक इस कड़ी को स्थापित करना जारी रखा, जबकि असीमानंद और अन्यो के खिलाफ मुकदमा 2014 में ही शुरू हो चुका था. 2016 में, एनआईए के निदेशक ने स्वयं अमरीका के अपने समकक्ष अफसर से कासमानी को लेकर खुफिया जानकारी बटोरने के मकसद से मुलाकात की.

इस बीच स्वामी असीमानंद, रामचंद्र कालसांग्रा, संदीप डाँगे, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और अमित हाकला के खिलाफ मुकदमा चलना जारी रहा. 24 जनवरी 2014 को, पंचकूला में एनआईए के विशेष न्यायधीश ने आरोपियों के खिलाफ निम्नलिखित आरोप लगाए:

आईपीसी की धाराएँ 302, 307, 124-A, 438, 440; सभी धाराओं को 124-B के साथ पढ़ा जाए	हत्या, हत्या का प्रयास, देशद्रोह, आग्नेय या विस्फोटक पदार्थों द्वारा हानि, जानलेवा या गंभीर चोट पहुँचाने वाले काम, आपराधिक साजिश
---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रेलवे ऐक्ट के अंतर्गत धाराएँ: 150(e) , 151, 153	दुर्भावनापूर्ण मंशा से ट्रेन या रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना या कोशिश करना, रेलवे संपत्ति का नुकसान और तोड़फोड़ की कार्यवाही, जानबूझकर रेलयात्रियों को चोट पहुँचाना
एक्सप्लोसिव सबस्टेंस ऐक्ट, 1908 के अंतर्गत धाराएँ 3, 4	विस्फोट जिससे जानमाल का नुकसान और जिनमे सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँच सकती हो, विस्फोट द्वारा जानमाल और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास
प्रीवेन्शन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ऐक्ट, 1984 के अंतर्गत धाराएँ 3, 4	सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले कृत्य, आग और अग्नेयास्त्र द्वारा जान और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का प्रयास।
यूएपीए के अंतर्गत धाराएँ 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23	गैरकानूनी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि, फंड उगाही, शरण देना, इत्यादि. षड्यंत्र, अधिक जुर्माना.

## अभियोजन पक्ष का केस

2014 में, पंचकूला के विशेष एनआईए कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ. अभियोजन पक्ष ने साजिश का अपना केस प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कॉल रिकार्ड एवं एनआईए द्वारा अपनी जाँच से उजागर सबूतों को रखा और साथ ही 224 गवाह भी पेश किए. दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने कोई मौखिक सबूत पेश नहीं किए, बल्कि उसने दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में, 2013 के स्पेशल केस नम्बर 03 की प्रामाणिक नकल पेश की, जिसका फैसला 16 अप्रैल 2018 को दिया गया था. नीचे स्पेशल कोर्ट के फैसले में, अभियोजन पक्ष के मामले को विस्तार से समझाया गया है.

## लिंक 1 : षड्यंत्र

2006 में, स्वामी असीमानंद और सुनील जोशी ने गुजरात के डाँग जिले के शबरीधाम आश्रम में मुलाकात की, जहाँ उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उनके धार्मिक स्थलों और मुसलमानों की घनी आबादी वाले इलाकों पर आतंकवादी हमले करवाने की योजना बनाई. इसके पीछे उनकी मंशा "जेहादियों" द्वारा हिंदु मंदिरों पर किए गए हमलों का बदला लेने की थी. हालांकि, कुछ आरोपियों के बीच इस साजिश को रूप लेने में एक साल से भी ज्यादा का समय लगा. 2006 में सम्पन्न हुई बैठक में शामिल असीमानंद को एनआईए ने "बम का बदला बम" के सिद्धांत के ईजाद का श्रेय दिया. असीमानंद ने ही मालेगांव, अजमेर और हैदराबाद पर हमला करने का प्रस्ताव रखा था. सुनील जोशी इन हमलों को अंजाम देने वाला प्रमुख किरदार था. अपनी टीम द्वारा इस काम को अंजाम देने के लिए जोशी ने तीन किस्म के समूह बनाए:

**समूह 1 :** इस समूह में "वाइट कॉलर्ड लोगों" को होना था. इनके जिम्मे मिशन के लिए युवाओं को उत्प्रेरित करना, वैचारिक समर्थन देना, जमीनी कार्यकर्ताओं को शरण प्रदान करना, इत्यादि शामिल था. इस समूह में स्वामी असीमानंद और भारत भाई रतेश्वर थे. मीडिया प्रबंधन की जिम्मेवारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी.

**समूह 2 :** इस समूह का मकसद बम बनाने की सामग्री एकत्रित करना था. रामजी और लोकेश इस समूह के सदस्य थे.

**समूह 3 :** इस समूह में उन लोगों को रहना था, जो असल में बम बनाने और हमले वाले नियत दिन उसे प्लांट करने का काम करेंगे. इसमें कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी, संदीप डाँगे, लोकेश शर्मा और रामजी शामिल थे. इनमें से किसी समूह को भी एक-दूसरे के संपर्क में नहीं रहना था. केवल सुनील जोशी इन सब के बीच समान कड़ी की भूमिका निभाने वाले थे. हालाँकि, स्वामी असीमानंद ने समय-समय पर इस साजिश को अंजाम देने के लिए आर्थिक मदद करने हेतु हामी भरी थी. लेकिन सुनील जोशी भारी रकम जुगाड़ने में सफल रहे थे, जो असीमानंद और अन्यो की नजर में नहीं लाई गई थी.

हमलों की तैयारी के लिए असमीनानंद ने ही सुनील जोशी को देश भर में अन्य लोगों से मिलवाया। यही लोग उसे आईईडी सामग्री, धनराशि, सुझाव और लोगों की भर्ती में भी मदद करने वाले थे।

2006 में सुनील जोशी ने, षड्यंत्र का हिस्सा बनाने की मंशा से स्वामी असीमानंद को संदीप डॉंगे, रामजी, लोकेश शर्मा और अमित हाकला से मिलवाया। इसी तरह, असीमानंद ने सुनील जोशी की मुलाकात कर्नल पुरोहित से करवाई। असीमानंद और कर्नल पुरोहित 2005 से ही इस योजना पर काम कर रहे थे। 2003 में, स्वामी असीमानंद प्रज्ञा टाकुर से मिल चुका था।

## स्पेशल कोर्ट के सम्मुख पेश किए गए सबूत

असमीनंद ने 15 जनवरी 2011 को चीफ मजिस्ट्रेट के सामने (सीआरपीसी की धारा 164 के तहत) अपने इकबालिया बयान में स्वीकार किया था कि इस षड्यंत्र में उसकी भागीदारी रही थी। उसने बैठक के विवरण पेश किए और विस्तार से षड्यंत्र की योजना के बारे में भी बताया।

हालाँकि, ना तो एनआईए और ना ही चीफ मजिस्ट्रेट ने यह सुनिश्चित किया कि इकाबालिया बयान विधि-सम्मत, स्वतंत्र और स्वेच्छापूर्वक किया जाए। असीमानंद ने अपने बयान पर दस्तखत भी नहीं किए थे। फिर उसने मई 2011 में अपना बयान वापिस लेने के लिए अदालत में अर्जी डाली। इससे तुरंत साफ हो जाना चाहिए था कि इस इकबालिया बयान की अदालत में कोई हैसियत नहीं थी।

जिरह के दौरान, सीजेएम भी यह साबित करने में असमर्थ रहे कि भरोसेमंद और स्वेच्छापूर्वक बयान लेने हेतु न्यूनतम सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए गये थे। सीजेएम ने असीमानंद से यह तक नहीं पूछा कि उसे कितने समय पुलिस हिरासत में रहना पड़ा, या फिर यह तथ्य कि उसे क्यों सीधा पुलिस रिमांड से उठाकर उनके सामने पेश कर दिया गया था। सीजेएम ने यह भी सुनिश्चित नहीं किया कि उसे एनआईए को सौंपते वक्त जेल अधिकारी मौजूद रहें। कायदे से मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना होता है कि बयान दर्ज

करवाते वक्त कोई पुलिसकर्मी मौजूद ना हो; और कि बयान दर्ज होने के बाद, आरोपी को न्यायिक हिरासत, ना कि पुलिस हिरासत, में भेजा जाए.

एनआईए द्वारा कमल चौहान और असीमानंद के इकबालिया बयान के आधार पर किसी किस्म की कोई जब्ती नहीं की गई, जिसे पुष्ट करने वाले साक्ष्य के रूप में स्वतंत्र रूप से कोर्ट के सामने दाखिल किया जा सकता.

एनआईए ने चंचलगूदा जेल (हैदराबाद) में बंद कैदी, शेख अब्दुल खलीम (पीडब्लू-253), जिससे असीमानंद ने अपने जेल प्रवास के दौरान पूरे षड्यंत्र को साझा किया था, के सुने-सुनाए साक्ष्य अदालत में पेश किए. हालाँकि, खलीम ने जिरह के दौरान बताया कि असीमानंद को एकांतवास में रखा गया था, इसलिए उनके आपस में मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था. अजीब बात थी कि अक्टूबर 2010 से जनवरी 2011 तक खलीम के उसी जेल में रहने को लेकर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया.

इसी तरह की खामियों के चलते स्पेशल कोर्ट द्वारा इकबालिया बयान को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता था.

## लिंक 2: षड्यंत्र को सफल बनाने की योजना और तैयारी

अभियोजन पक्ष ने 2005-07 के दौरान षड्यंत्रकारियों एवं आरोपियों के बीच कई बैठकों का जिक्र किया. यह वही समय था जब षड्यंत्र रचा गया उस क्रियानवित किया गया; धनराशि जमा की गई; और, टीम में नए सदस्य जोड़े गए:

- नवंबर 2005: गुजराती धर्मशाला जयपुर, जहाँ षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए सुनील जोशी, रामजी, लोकेश शर्मा, इत्यादि ने बैठक की और उन्हें अलग-अलग कार्य सौंपे गए.

- जनवरी और अप्रैल 2006: सुनील जोशी ने दो प्रशिक्षण शिविर लगाए.
- पहला प्रशिक्षण देवास, मध्यप्रदेश के बागली जंगलों में किया गया. इसमें पाईप बम बनाने और पिस्तौल चलाने का अभ्यास किया गया. इस प्रशिक्षण में कमल चौहान, रामचंद्र कलसांग्रा, शिवम् धाकड़, लोकेश शर्मा, अमित हाकला और राजेंद्र चौधरी ने हिस्सा लिया.
- दूसरा प्रशिक्षण दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद के डॉक्टर करनी सिंह फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया, जिसमें कमल चौहान, शिवम् धाकड़, लोकेश शर्मा, अमित हाकला और राजेंद्र चौधरी शामिल हुए.
- जनवरी-मई 2006: सुनील जोशी (कभी-कभी भारत भाई के साथ) षड्यंत्र को अंजाम देने के मकसद से देश भर में की गई कई यात्राएँ और बैठकें.
- झारखंड, जहां देवेंद्र गुप्ता (जमातरा) ने झारखंड में सिम कार्ड, पिस्तौलों और विस्फोटकों का इंतजाम किया.
- आगरा और उसके बाद गोरखपुर, लेकिन इन जगहों पर उसे किसी भी हल्के से कोई मदद नहीं मिली.
- नागपुर, जहाँ वह इंद्रेश कुमार से मिला, जिसने नकद 50,000 रुपए देकर विस्फोटक और अन्य सामग्री जुगाड़ने में उसकी मदद की.
- जून 2006: इस षड्यंत्र को अंजाम देने की मुख्य बैठक भारत भाई के ठाकुरघर पर हुई थी. इस बैठक में असीमानंद, प्रज्ञा ठाकुर, सुनील जोशी, संदीप डाँगे, रामजी, लोकेश शर्मा, अमित हाकला और भारत भाई शामिल हुए थे.
- 16 फरवरी 2017: बम ब्लास्ट से दो दिन पहले शबरीधाम आश्रम गुजरात में सुनील जोशी, असीमानंद और प्रज्ञा ठाकुर से मिला.
- नासिक 2007: सुनील जोशी की मौत के तुरंत बाद असीमानंद और कर्नल पुरोहित मिले, जहाँ उन्होंने "अभिनव भारत" के गठन की घोषणा की.

## स्पेशल कोर्ट के समक्ष रखे गए साक्ष्य

कमल चौहान ने 27 फरवरी 2012 को अपनी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी

- इसके साथ कमल चौहान एनआईए को करनी सिंह शूटिंग रेंज भी ले गया, जहाँ अप्रैल 2006 में शूटिंग अभ्यास किया गया था. इसके साथ उसने यह खुलासा भी किया कि वह इंदौर और बागली जंगलों को भी पहचानता है, जहाँ बम बनाने और चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी.
- स्पेशल कोर्ट ने इस बयान को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसे विधि-सम्मत नहीं माना गया, जो साफ तौर पर इंडियन एविडेंस एक्ट में वर्जित है. एनआईए ने कमल चौहान के बयान के सिलसिले में किसी किस्म की बरामदगी भी नहीं की थी. इसलिए स्पेशल कोर्ट ने पेश किए गए मेमो और अन्य साक्ष्य स्वीकार नहीं किए. इसका मतलब था अपने केस को मजबूत करने के लिए कमल चौहान द्वारा दिए गए बयान को लेकर एनआईए कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई थी.
- राजेंद्र चौधरी ने 26 दिसंबर 2012 के अपने खुलासे में बागली जंगलों के ट्रेनिंग स्थल की तरफ इशारा किया. स्पेशल कोर्ट को यह अजीब लगा कि कमल चौहान के बयान के समय कोई 'सोयल सैम्पल' नहीं लिए गए थे. ये सैम्पल राजेंद्र चौधरी के बयान के दस महीने बाद एकत्रित किए गए थे.
- बागली जंगल के 'सोयल सैम्पल': दिसंबर 2012 में धमाके से बने गड्डे की मिट्टी के सैम्पल लेकर, उसे जाँच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेज दिया गया — बम ब्लास्ट परीक्षण से 5-6 साल बाद; और, एनआईए को इसकी पहली जानकारी मिलने के 10 महीने बाद.
- स्पेशल कोर्ट ने कई कारणों से किसी भी सैम्पल को स्वीकार नहीं किया.
- सैम्पल खुली और बेरोकटोक वाली जगह से उठाए गए थे, वह भी 5-6 साल बाद. ऐसे इलाके के सैम्पल को एफएसएल के पास भेजने से पहले सील भी नहीं किया

गया था. इसलिए 2013 में, जब विशेषज्ञों को रेत के सैम्पल मिले तो उसमें बम के कण नहीं बचे थे.

- एनआईए कोर्ट के सामने सैम्पल की 'चेन ऑफ कस्टडी' स्थापित नहीं कर पाई. मसलन यह स्पष्ट नहीं था कि 27 फरवरी 2013 एफएसएल में आने तक, दो महीने तक सैम्पल किसके पास रहे.
- डिस्कवरी मेमो कोर्ट को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इसे पुलिस हिरासत में लिया गया था. अभियोजन पक्ष ने दलीलों के दौरान दो स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की. इनके नाम थे: प्रताप कुमार और राजेश सरवाते, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर जाँच और मेमो बनाने में मदद की थी. तीसरे स्वतंत्र गवाह, मोहम्मद इरशाद (पीडब्लू-151), ने कोर्ट में शहादत दी थी कि उसने हवाई अड्डे पर बागली से आने वाली टीम से प्राप्त रिकवरी मेमो पर दस्तखत किए थे; और कि उसने रिकवरी होते हुए खुद नहीं देखी थी.
- एफएसएल रिपोर्ट बागली में पाए गए सैम्पल से आरडीएक्स और वास्तविक धमाके की जगह से मिलने वाली रेत के बीच की कड़ी की बात नहीं करती.
- करनी सिंह शूटिंग रेंज की रूपरेखा: एनआईए ने करनी सिंह शूटिंग रेंज की रूपरेखा बनाई, लेकिन रूपरेखा के साथ वह फयरिंग अभ्यास का संबंध समझा नहीं पाई. जिस जगह की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, वह करनी सिंह शूटिंग रेंज की वर्तमान रूपरेखा थी, जिसे 2008-09 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दुबारा बनाया गया था.
- बैटकें 2005 और 2007 के धमाकों के षड्यंत्र के संबंध में आयोजित की गई थी, इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया.
- 2005 में, इंदौर में षड्यंत्रकारियों के बीच जिम्मेवरियों का बँटवारा होने था जिसके लिए एक कमरा बुक किया गया था. यह स्थापित कर दिया गया कि कमरा सुनील जोशी के नाम से बुक था. 2005 और 2007 के बीच धमाके की साजिश रचने के लिए कितनी बैटकें की गई, इसको लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था.

- प्रज्ञा ठाकुर, सुनील जोशी, संदीप डाँगे और असीमानंद के कॉल रिकार्ड में इन सभी के बीच फरवरी और मार्च 2007 में कॉलों का आदान-प्रदान दिखता है. समझौता एक्सप्रेस धमाकों की योजना के ये आखिरी क्षण थे.
- एनआईए किसी भी फोन के कॉल रिकार्ड मुहैया करवाने में नाकाम रही. ना ही वह यह साबित कर पाई कि कौन से फोन या सिम कार्ड किस अभियुक्त के थे.
- अभियोजन पक्ष द्वारा दो गवाहों से पूछताछ की गई. राजेश मित्तल (एसडीई बीएसएनएल) (पीडब्लू-203) और रवि प्रकाश (असिसटेंट नोडल अफसर) (पीडब्लू-223) ने भी अभियोजन पक्ष के केस में मदद नहीं की. अगर कॉल रिकार्ड इस वक्त तक नष्ट हो भी गए थे, तब भी सिम कार्ड खरीदारों की पहचान को स्थापित करने वाले दस्तावेजों को कोर्ट में जमा नहीं किया गया.

### लिंक 3: फरवरी 2007 में समझौता धमाकों का क्रियान्वन

नवंबर-दिसंबर 2006 में कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी ने लोकेश शर्मा के निर्देश पर जामा मस्जिद एवं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाकों का मुआईना किया. उन्होंने लोकेश शर्मा को कहा कि जामा मस्जिद इलाके में सुरक्षा का पर्याप्त बंदोबस्त है, लेकिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं. उनके अनुसार वहाँ समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट आसान और सुरक्षित हो सकता है.

लोकेश शर्मा के निर्देश पर, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी 17 फरवरी 2007 को इंदौर पहुँचे. सर्वसंपन्न नगर पहुँचकर वे उस कमरे में गए जहाँ पहले से ही अभियुक्त अमित, **राजेंद्र चौधरी**, और रामचंद्र कालसांग्रा मौजूद थे. रामचंद्र कालसांग्रा ने लोकेश शर्मा, अमित हाकला, राजेंद्र चौधरी और कमल चौहान को एक-एक सूटकेस दिए. इन सूटकेसों में आईईडी विस्फोटक थे, जिन्हें बाद में समझौता एक्सप्रेस धमाकों के लिए इस्तेमाल किया गया. यह वही कमरा है जहाँ 2006-07 में अमित हाकला रुका था और जिसे आधिकारिक तौर पर रामचंद्र कालसांग्रा द्वारा किराए पर लिया गया था. इसका किराया वही चुकाता था. यह

वही कमरा है जहाँ कमल चौहान ने ज्वलनशील ईंधन के तेल की बोतलों को सील करने में अमित हाकला की मदद की थी, जिन्हें बाद में समझौता एक्सप्रेस धमाकों के आईईडी में प्रयोग किया गया था.

रामचंद्र कालसांग्रा ने लोकेश शर्मा, अमित हाकला, राजेंद्र चौधरी और कमल चौहान को 17 फरवरी 2007 के दिन मारुति ओमनी वैन में इंदौर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा था, जिसे बाद में शिनाख्त कर जब्त कर लिया गया था. उन्होंने इंदौर रेलवे स्टेशन से इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़ी, जो अगले दिन सुबह निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँची जहाँ से वे लोकल ट्रेन पकड़कर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचे. इसके बाद वे यहाँ डीलक्स डोर्मिटरी के कमरा नम्बर 14 में रुके और वहाँ से प्लेटफार्म पर पहुँचे, जहाँ समझौता एक्सप्रेस छूटने के लिए तैयार खड़ी थी. कमल चौहान और लोकेश शर्मा ने दो बिस्तर बुक करवा रखे थे.

अमित हाकला और राजेंद्र चौधरी नजदीकी मुख्य प्लेटफार्म के पहले माले पर बनी डोर्मिटरी में रुके. बाद में उन्होंने अलग जनरल कोच को चुना और अपने साथ लाए सूटकेस बमों को ऊपरी सीट पर रख दिया. वे समझौता एक्सप्रेस में बम प्लांट करने के बाद ट्रेन से जयपुर पहुँचे और फिर बस लेकर इंदौर आ गए. रास्ते में संदीप डाँगे ने लोकेश शर्मा से पूछा कि बाकि के दो बम क्यों नहीं फूटे?

## स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य

### धमाका और बम रिपोर्ट

एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार समझौता एक्सप्रेस में आग लगने का कारण बम धमाका था. बम में धमाकों के लिए सल्फर और पोटेशियम क्लोराइड, पीईटीएन, टीएनटी, आरडीएक्स, इत्यादि का इस्तेमाल किया गया था.

### बमों का सूटकेस कवर

धमाके की जगह से बरामद हुए सूटकेसों पर सिलाई किया हुआ कवर मौजूद था. जाँच से पता चला कि एम.के. बाग सेंटर, कोठारी मार्केट, इंदौर के इकबाल हुसैन ने इनके कवर

सिले थे और उन पर 'अपोलो 600' लिखकर अपनी मोहर छोड़ दी थी. एफएसएल के अनुसार इस पर लिखाई इकबाल हुसैन की ही थी.

स्पेशल कोर्ट इस साक्ष्य पर भी यकीन नहीं कर सकता था. अभिनंदन बाग सेंटर से जब्त किये गए नीले कपड़े और एम.के. बाग सेंटर से जब्त किए गए डेनिम के कपड़े को भी एफएसएल भेजा गया. एफएसएल के अनुसार, मौका-ए-वारदात से मिले सूटकेसों के कवर के कपड़े एक रंग, एक डिजाइन और नंगी आँखों या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने/ छूने में एक जैसे थे. क्या अभियुक्तों में से किसी ने कवर एक ही दुकान से सिलवाए थे? तथ्य को सत्यापित करवाने के लिए एनआईए ने शिनाख्त परेड करने की जहमत भी नहीं उठाई थी. इस मुत्तालिक कॉल रिकार्ड पर भरोसा करना भी बेमानी था क्योंकि कोठरी मार्केट इलाके के टावर का 'डम्प डाटा' स्पेशल कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया गया था. डम्प डाटा उसे कहते हैं, जिसकी मदद से उपभोक्ता की लोकेशन का पता लगाया जाता है.

□ अभियुक्तों को ब्लास्ट से जोड़ने वाले कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए

एनआईए ने **समूह 3** में नामित आरोपियों, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस में बम लगाए, को लेकर कोई भी पुष्ट करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस पकड़ने से पहले 17 फरवरी 2007 को इंदौर-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसमें इंदौर से दिल्ली की यात्रा करने वालों में आरोपी भी शामिल थे, का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया.

एनआईए द्वारा ने 18 फरवरी 2007 को रेलवे डोर्मिटरी में ठहरे दो अभियुक्तों को लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए. एनआईए ने पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद इलाके की रेकी या धमाके से एक दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर आरोपियों की मौजूदगी को स्थापित करने वाली सीसीटीवी फुटेज प्रस्तुत नहीं की. एनआईए द्वारा धमाके की जगह से प्राप्त आरोपियों की ऊँगलियों के निशानों के साथ मिलान नहीं किया गया. इसने धमाकों में इस्तेमाल सूटकेस के कवर की खरीदारी करने वालों की शिनाख्त परेड भी नहीं करवाई. अभियोजन पक्ष कमल चौहान के 'डिसक्लोजर मेमो' पर ही आश्वस्त रहा, जहाँ उसने डोर्मिटरी और स्टेशन की अन्य

जगहों का जिक्र किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया, क्योंकि यह एक 'अतिरिक्त न्यायिक स्वीकोरक्ति' थी.

अभियोजन पक्ष ने इस्तिफार अली नामक गवाह (पी डब्लू-90), जो उस ट्रेन में एक यात्री था, से पूछताछ की. उसके अनुसार उसने कुछ यात्रियों को कहते सुना था कि कुछ लोग जनरल बोगियों से उतर गए हैं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि कुछ आरोपी यात्रा की शुरुआत में ही उतर गए थे. हालाँकि, इस बिंदु पर आगे कोई और जाँच नहीं की गई. वास्तव में, गवाह के इस बयान से अभियोजन पक्ष की कहानी में अंतर्विरोध उत्पन्न होता था कि बमों को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही प्लांट लिया गया था.

## कुछ अनसुलझे सवाल

स्पेशल कोर्ट ने एनआईए पर घटिया जाँच करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से सभी अभियुक्त मुकदमे से साफ बरी हो गए. वास्तव में, शुरुआत से ही एनआईए की भूमिका और बर्ताव ने कई प्रश्नों को अंत तक अनसुलझा ही छोड़े रखा.

## ”हिंदू’ आतंकवाद से आँखें मूँदना

वर्तमान आरोपियों के खिलाफ जाँच शुरू करने से पहले करनाल थाने ने बम धमाकों के लिए लश्करे तैयबा का हाथ होने पर अपने शक की सुई घुमाकर तीन साल बर्बाद कर दिए. जबकि लश्करे तैयबा ने धमाकों की जिम्मेवारी भी अपने सर नहीं ली थी. यह स्पष्ट नहीं है कि फिर क्यों और कैसे जाँच एजेंसियाँ इस नतीजे पर पहुँची. फलस्वरूप शुरु के साल, जो ठोस सबूतों को एकत्रित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण थे, एक गलत दिशा में जाने से जाया हो गए. जैसे-जैसे समय बीतता गया पुख्ता सबूत जुटाना नामुमकिन होता चला गया, जैसाकि मुकदमे के दौरान रेत के सैम्पल, कॉल रिकार्ड, और, यहाँ तक कि, गवाहों के साथ देखने में आया. यह रवैया या तो अयोग्यता और अव्यवसायिकता को दर्शाता है, या, हिंदू आतंकवाद के अस्तित्व के खिलाफ गहरे तक पैठे पूर्वाग्रह को. वजह चाहे जो भी हो, जाँच एजेंसियों की इस भूल ने शुरु से ही केस को कमजोर कर दिया था. बाद में जाकर उन्हें हिंदू आतंकवादी

संगठनों की संलिप्तता के बारे में तब पता चला, जब देशभर में अन्य जगहों पर होने वाले हमलों में इसी तरह के बमों का इस्तेमाल सामने आया.

2016 में, जब असीमानंद और अन्यो के खिलाफ मुकदमा अभी लंबित ही था तो एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार ने अमरीका को एक अर्जी भेजी कि वह धमाके के मुत्तालिक लश्करे तैयबा की कड़ी तलाशने को लेकर अपनी जाँच को दुबारा शुरू करे. पारस्परिक कानूनी सहायता संधि के अंतर्गत, एनआईए ने ब्लास्ट से संबंधित आरिफ कासमानी का ब्यौरा माँगा. हालाँकि एनआईए और एसआईटी दोनों ने उसे पहली ही सारे आरोपों से बरी कर दिया था. इस मामले में सभी आरोपियों के बरी हो जाने के बाद अमित शाह ने 1 अप्रैल 2019 को उड़ीसा की एक चुनाव रैली में पिछली यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए हमला किया कि उसने हिंदुओं को आतंकवादी बताकर उनकी उनकी छवि धूमिल की है. उन्होंने दलील दी कि असली संदिग्ध, यानि इस्लामिक आतंकवादी, पिछली बार अनुचित तरीके से बरी कर दिए गए.

## आरोप चस्पॉ करने और आरोप-पत्र दाखिल करने में जल्दबाजी

एनआईए ने जाँच में एक साल से भी कम का समय लगाया. उसने केस अपने हाथ में आने के बाद आरोप पत्र 11 महीने के अंदर (29 जुलाई 2010 – 20 जून 2011) दाखिल कर दिए. आरोप-पत्र ने पर्याप्त सबूतों के साथ मुकदमे के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी का दावा पेश किया. हालाँकि, दावों के विपरीत एनआईए की जाँच आरोप-पत्र दाखिल होने के समय तक पूरी नहीं हुई थी, जो दिसंबर 2013 तक चलती रही, जब एफएसएल को सोयल सैम्पल भेजे गए. आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद हासिल की गई रामचंद्र और कमल चौहान की डिसक्लोजर स्टेटमेंट को अदालत में मान्य नहीं माना गया.

## जाँच और सबूतों में लापरवाही

एनआईए द्वारा एकत्रित अन्य सबूत जैसे सोयल सैम्पल, सूटकेस कवर और आरोपियों के इकबालिया बयान भी महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं. चूँकि इन सबूतों को अनुचित प्रक्रिया

के तहत एकत्रित किया गया था, इसलिए कोर्ट को उन्हें मुकदमे के दौरान नजरंदाज और अविश्वसनीय घोषित करने का मौका मिल गया. क्या यह संभव है कि देश की सबसे प्रमुख और पेशेवर जाँच एजेंसी को सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस ऐक्ट के बुनियादी कायदे से परिचय नहीं था? इसके अतिरिक्त, एनआईए एक सक्रिय फायरिंग रेंज से 5-6 साल बाद एकत्रित सैम्पल पर किस बिनाह पर भरोसा कर सकती थी? एनआईए ने लगभग कोई भी ईलेक्ट्रॉनिक सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया. सिर्फ टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडरस को फरवरी 2007 के दौरान सुनील जोशी, संदीप डाँगे, प्रज्ञा ठाकुर और अन्यो के बीच आपसी संयोजकता को स्थापित करने हेतु गवाहों के रूप में कोर्ट में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की इस बात पर भी अदालत में भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके साथ किसी भी किस्म की कॉल जानकारियाँ नहीं दी गई थीं.

## मुकरने वाले और असंरक्षित गवाह

- ऐसा कैसे हुआ कि अभियोजन पक्ष 224 गवाहों में से ज्यादातर ऐन मौके पर या तो अदालत में साफ मुकर गए; या, उन्होंने अदालत में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने से इनकार कर दिया? अगर गवाहों को धमकियाँ दी जा रही थी; या, उन पर कोई दबाव था तो एनआईए ने उन्हें संरक्षण क्यों प्रदान नहीं करवाया? उन्हें दुबारा अदालत में बुलाने, उनकी याददाश्त ताजा करने, या, उनका विश्वास जीतने का प्रयास क्यों नहीं किया गया?

## आरोपी से अपराध को जोड़ने वाले मुख्य सबूत नदारद

- असीमानंद के इकबालिया बयान का दर्ज किया जाना जरूरी प्रश्न उठाता है. ना केवल इतने महत्वपूर्ण बयान को बिना कानूनी प्रक्रिया के दर्ज किया गया बल्कि एनआईए ने तब भी वही गलती दोहराई, जब असीमानंद महज तीन महीने बाद यह कहते हुए मुकर गया कि उसने कथित बयान दबाव में आकर दिया था. चूँकि इकबालिया बयान गैर विधिवत तरीके से लिया गया था, कोर्ट ने इसे बिना झिझक खारिज कर दिया. मुकदमे के शुरुआती दौर में भी एनआईए ने इकबालिया बयान के आधार पर सबूत जुटाने के प्रयास नहीं किए. अगर वह ऐसा कर लेती तो

मुकरने के बावजूद कम से कम इकबालिया बयान के कुछ हिस्सों का मुकदमे में इस्तेमाल किया जा सकता जा सकता था. एनआईए ने सहायक सबूतों को जुटाने में भी कोई तत्परता नहीं दिखाई. इकबालिया बयान से मुकर जाना अभियोजन पक्ष के लिए कैसे अंत तक प्राथमिक आधार बना रहा?

- इसके अतिरिक्त, हालाँकि धमाके का तथ्य धमाके की जगह से एकत्रित साक्ष्यों से स्थापित हो चुका था, लेकिन आरोपियों को अपराध से जोड़ने वाले सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए थे. सीसीटीवी फुटेज, रेलवे डोर्मिटरी में रहने के रेकार्ड, बैठकें करने एवं आईईडी बनाने के लिए होटल के दस्तावेज, धमाकों से आरोपियों को जोड़ने वाले कॉल रिकार्ड कोर्ट में कभी भी पेश नहीं किए गए. यहाँ तक कि आरोपियों की पहचान स्थापित करने वाले गवाहों (जिनमें सूटकेस बेचने वाला दुकानदार भी शामिल है) को गवाही के लिए भी बुलाया नहीं गया. सवाल उठता है कि जब एनआईए ने अभी पर्याप्त सबूत ही नहीं जुटाए थे, तो वह मामले को कोर्ट ले ही क्यों गई? क्या अभियोजन पक्ष क्रिमीनल लॉ के बुनियादी सिद्धांतों से अंजान था? क्या उसे यह नहीं मालूम था कि आरोपी को अपराध से बिना शुबाह स्थापित करने के लिए कड़ियों को जोड़ना आवश्यक होता है?
- क्या एनआईए को नहीं मालूम था कि एक निश्चित सीमा बीत जाने के बाद एवं विधि सम्मत तरीके से एकत्रित वास्तवित और फोरेंसिक प्रमाणों तथा इकबालिया बयान कोर्ट में नहीं टिक सकेंगे? केस के समर्थन में एनआईए द्वारा कारगर साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए गए?
- समझौता मामले में एनआई की भूमिका चक्कर में डालने वाली है. अगर एनआईए के पास आरोप-पत्र में लगाए गए आरोपों को लेकर पुख्ता सबूत नहीं थे तो फिर उसे कोर्ट में केस दाखिल ही क्यों किया? अगर उसके पास पर्याप्त सबूत थे, जो संभव है कि उसके पास थे, तो उसने उन्हें कोर्ट में दाखिल क्यों नहीं किया? अंत तक महत्वपूर्ण सुराग नदारद रहे, जिनमें कॉल रिकार्ड, सीसीटीवी फुटेज, डोर्मिटरी रिकार्ड, शिनाख्त परेड, सोयल सैम्पल, और अन्य बरामदगियाँ शामिल हैं. इन सभी असफलताओं को अगर समग्रता में देखा जाए तो एक जाँच एजेंसी के रूप में

एनआईए की काबलियत पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले (पैरा 53) में कहा कि एनआईए ने अपने केस के समर्थन में रत्ती भर भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। स्पेशल प्रोसीक्यूटर की भूमिका इससे भी ज्यादा संदेहास्पद है, जिसने चार्जशीट दाखिल करने और मुकदमा शुरू होने से पहले सबूतों का ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किया।

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी जैसी प्रमुख जाँच एजेंसी की स्वायत्तता, विश्वसनीयता, मुकदमा करने और देश की सुरक्षा करने की उसकी काबलियत पर सवालिया निशान लगाती है।

## उपसंहार

संसद के मानसून सत्र के दौरान, अगस्त 2019 में, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम 2019 गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में पारित किया गया। इस संशोधन के जरिए एनआईए की जाँच और उसके अभियोक्ता होने के अधिकार क्षेत्र को और अधिक बढ़ा दिया गया:

- इस संशोधन ने एनआईए के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अपराधों की सूची में इजाफा किया, अर्थात्, अब एनआईए मानव तस्करी, प्रतिबंधित हथियारों के बिक्री-उत्पादन और उनके हस्तांतरण, साइबर आतंकवाद के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के मामलों में भी छानबीन कर सकेगी।
- संशोधन ने एनआईए को यह भी अधिकार दे दिया है कि वह अब भारत की सीमा के बाहर भारतीय नागरिकों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों, या, ऐसी गतिविधियों, जो भारत के हित में ना हों, को लेकर भी छानबीन कर सकती है।

इस तरह, एनआईए ना केवल अब भारतीय नागरिकों द्वारा भारत की सीमा में अंजाम दिए जाने वाले उन अनुसूचित अपराधों, बल्कि विदेशियों द्वारा भारत के हितों के खिलाफ किए जाने वाले अपराधों की भी जाँच कर सकेगी।

इस संशोधन से अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए केंद्रीय और राज्य सरकारें राज्यों में किसी भी निचली अदालत को 'स्पेशल एनआईए कोर्ट' घोषित कर सकती हैं।

क्र म संख्या	श्रेणी	एनआईए अधिनियम 2008	एनआईए संशोधन 2019
1	अनुसूचित अपराध	अधिनियम की सूची में अनुसूचित अपराध सीमित रहेंगे —  सात अधिनियमों और भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित अपराधों की श्रेणियों तक: (अ) भारतीय दंड संहिता के अध्याय VI (45 ऑफ 1860); धारा 121 से 130; धारा 489-A से 489-E (दोनों सम्मलित); (c) धारा 489-A से 489-E तक (दोनों सम्मलित)	एनआईए का अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित अपराधों तक विस्तारित कर दिया गया है —  एक्सप्लोसिव सबस्टेंस ऐक्ट, 1908 के अंतर्गत किए जाने वाले अपराध. निम्नलिखित अपराध जोड़ दिए गए हैं — (i) मानव तस्करी (आईपीसी की धारा 370-370 I; (ii) नकली करेंसी या बैंक नोटों से संबंधित अपराध (iii) निषेध हथियार बनाना या उसकी बिक्री (धारा 25(1AA), आर्मस ऐक्ट; (IV) साइबर आतंकवाद (धारा 66E, आईटी ऐक्ट )
2	अधिकार क्षेत्र	अधिकार क्षेत्र सीमित था — (अ) विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों तक; (ब) किसी भी स्थान पर सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति तक; और (स) भारत में पंजीकृत पानी के जहाजों और हवाई जहाजों में मौजूद व्यक्तियों तक, वे चाहे किसी भी स्थान पर मौजूद हों.	अधिनियम एनआईए को अधिकार देता है कि वह भारत की सीमा के बाहर भी उन अनुसूचित अपराधों की जांच कर सके जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ या भारत के हितों के खिलाफ अंजाम दिए गए हों. इनमें जांच बेशक अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुरूप होगी ठीक वैसे ही जैसे अपराध भारत में ही अंजाम दिए गए हों (अनुच्छेद 1 (2) (d).

3	एनआईए को निर्देश देने में केंद्र सर. कार की शक्तिया	अगर केंद्र सरकार की दृष्टि में अनुसूचित अपराध घटित हुआ हो तो वह अपनी तरफ से एनआईए को जाँच के निर्देश दे सकती है.	केंद्र सरकार को अब यह अधिकार प्राप्त है कि वह एजेंसी को देश की सीमा के बाहर अनुसूचित सूची में आने वाले अपराध के मुत्तालिक केस दायर कर जाँच के निर्देश दे सकती है.
4	जाँच की शक्तियाँ	अपराध को लेकर जाँच की शक्तियाँ केवल देश की सीमा तक सीमित थीं.	जैसी जाँच की शक्तियाँ, कर्तव्य, विशेष. अधिकार और उत्तरदायित्व किसी पुलिस अफसर को प्राप्त होते हैं वैसे ही अधिकार एनआईए को भारत की सीमा के बाहर घटित होने वाले अपराधों में भी प्राप्त होंगे.
5	सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट में तब्दील करना	केंद्र सरकार सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के जरिए स्पेशल कोर्ट का गठन करेगी.	अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार किसी भी सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट, जिसके अंतर्गत वह सेशन कोर्ट आता है, के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद स्पेशल कोर्ट घोषित कर सकती है.

संसद में विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद ऊपर वर्णित संशोधन पारित कर दिए गए. विपक्ष को डर था कि इनका अल्पसंख्यकों/आदिवासियों और समाज के कमजोर तबकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे उनके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण ढंग से की गई फौजदारी के मुकदमों में इजाफा हो सकता है.

एनआईए द्वारा बढ़ते राजनीतिक दबाव और राजनीतिक कारणों की रौशनी में उसकी फैसले लेने और विवेकशीलता से काम करने की क्षमता पर असर पड़ना लाजिमी है. ऐसे

में एक ऐसी एजेंसी, जो आसानी से दबाव में जाती हो, जो गैर-पेशावर तरीके से काम करती हो, के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित करने का मतलब है, देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को और अधिक खतरे में डालना. इसके अतिरिक्त, यह चुनींदा और लक्षित गतिविधियों के अपराधीकरण को भी बढ़ावा देगा, जिसके फलस्वरूप व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ फौजदारी मामलों में इजाफा होगा. ऐसे में हम भारत के लोगों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाली प्रामाणिक और प्रभावकारी जाँच से वंचित रह जाएँगे.

**प्रकाशक:** पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर)

**जाँच से समझौता**

**वेबसाइट:** [www-pudr-org](http://www-pudr-org)